



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पंचम विधान सभा - सप्तम सत्र

(दिनांक 25 अगस्त, 2020 से 28 अगस्त, 2020 तक)

सत्रावधि में संपादित कार्यों की सांख्यिकीय जानकारी

सत्र की अवधि	04 दिन
बैठकों की संख्या	04
प्रश्नों पर चर्चा	02 घंटे 58 मिनट
प्रथम अनुपूरक	03 घंटे 33 मिनट
बैठकों में लगा कुल समय	24 घंटे 57 मिनट

प्रश्न

सूचनाएं प्राप्त	579
तारांकित प्रश्न	304
अतारांकित प्रश्न	275
ग्राह्य तारांकित	256
ग्राह्य अतारांकित	239
कुल ग्राह्य तारांकित एवं अतारांकित	495
सदन में उत्तरित	42

शासकीय विधेयक

सूचनाएं प्राप्त	12
सदन में पारित	12 (एक विनियोग विधेयक सहित)

नियम 139 की सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	02
ग्राह्य	01
अग्राह्य	01

विशेषाधिकार भंग की सूचना

प्राप्त सूचना	02
ग्राह्य सूचना	निरंक
अग्राह्य सूचना	02
विचाराधीन	00

स्थगन प्रस्ताव

कुल प्राप्त सूचनाएं	101
अग्राह्य	81
ग्राह्य	17(एक विषय)
ध्यानाकर्षण में परिवर्तित	03

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	221
अग्राह्य	131
ग्राह्य	57
शून्यकाल में परिवर्तित	33

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

कुल सूचनाएं	41
ध्यानाकर्षण से परिवर्तित	33
ग्राह्य	34
अग्राह्य	07

शासकीय संकल्प

प्राप्त सूचनाएं	01
ग्राह्य	01

अशासकीय संकल्प

प्राप्त सूचनाएं	04
ग्राह्य	02
अग्राह्य	02

याचिकाएं

प्राप्त सूचनाएं	58
-----------------	----

ग्राह्य	21
अग्राह्य	37
सदन में प्रस्तुत	08
व्यपगत	01

अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

प्राप्त अधिसूचना	05
पटल पर रखे गये	05

वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन, विचार तथा पारण

राज्य के विभिन्न निगम/मंडल/आयोगों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

प्राप्त प्रतिवेदन	22
पटल पर रखे गये	22

विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

1. कार्यमंत्रणा समिति	01
2. गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयक संबंधी समिति	01
3. लोकलेखा समिति	20
4. शासकीय आश्वासन संबंधी समिति	06
5. महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति	05
6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	03
7. पटल पर रखे गये पत्रों के परीक्षण करने संबंधी समिति	01

राज्य के बजट से संबंधित जानकारियों का पटल पर रखा जाना

- वर्ष 2019-2020 के बजट की तृतीय एवं अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद -151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-

महालेखा परीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद -151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 01)

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद -151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 02)

पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा	25 अगस्त से 28 अगस्त, 2020 तक सत्र के दौरान माननीय सदस्यों के द्वारा पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में पुस्तकालय संदर्भ साहित्य का अवलोकन / अध्ययन किया गया । माननीय सदस्यों को कुल 125 पृष्ठ का संदर्भ उपलब्ध कराया गया ।
छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट	छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट में दिनांक 25 अगस्त से 28 अगस्त, 2020 तक सत्रावधि के दौरान वेबसाईट पर लगभग 6500 विजिटर्स द्वारा अवलोकन किया गया ।
छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रवेश पत्र	कार्यालय द्वारा 2545 प्रवेश पत्र जारी किए गए। कोरोना वायरस के फैलाव/रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए दर्शक दीर्घा/अध्यक्षीय दीर्घा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किये गये।